



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.08.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैट में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (33 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0058/2008 धारा 41,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त बाबू खां कुरैशी पुत्र अमीन कुरैशी निवासी सैदपुर भीतरी थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक कैट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-20.08.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त बाबू खां कुरैशी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 41,414 भा0द0वि0 मे अभियुक्त द्वारा जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास (33 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।